भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 886
2 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

886. श्री बैनी बेहनन:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में भूमि उपयोग के पैटर्न में परिवर्तन पर जनता की आपत्तियों और उनके सुझावों को सुनने के लिए मात्र दो दिन का ही समय प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं;
(ख) क्या भूमि उपयोग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए लोगों की आपत्तियों को सुनने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने वाला सार्वजनिक नोटिस 30 दिनों का समय देते हुए दिनांक 21.12.2019 को जारी किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में, 1292 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए। जनता से आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त करने के लिए डीडीए द्वारा गठित जाँच एवं सुनवाई बोर्ड ने 6 और 7 फरवरी 2020 को कार्यवाहियां संचालित की थीं। सम्पूर्ण प्रक्रिया दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 ए के प्रावधानों के तहत संचालित की गई है और इसकी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****